86/5:10PM

महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्याः– 788 /VIII/17–22(श्रम)/2013टी.सी.II

प्रेषक,

एस॰रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

3. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
उत्तराखण्ड।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग **देहरादून दिनाँकः 31 मई, 2017**

विषयः– कर्मकारों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ अनुमन्य कराने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त संविदा श्रमिकों की EPF धनराशि जमा करने में ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोकने तथा इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गयी व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू करने हेतु केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, की अपेक्षा के क्रम में शासन के पत्र संख्याः 108 दि॰ 18.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन, श्रम एंव रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों,राज्य सरकार के विभागों के आउटसोर्स, संविदा, अंशकालिक या दैनिक वेतन भोगी ऐसे कर्मचारी, जो कि EPFO के सदस्य के रूप में नामित न हों, को सामाजिक सुरक्षा का लाभ अनुमन्य कराने के लिए employees' enrollment campaign- 2017 के माध्यम से EPFO में नामांकन कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 का उददेश्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित कर्मकारों को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आच्छादित कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः–

- यह नामांकन अभियान दि॰ 01.01.2017 से 30.06.2017 तक चलेगा, जिसका उददेश्य गैर नामांकित कर्मचारियों का नामांकन कराने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। दि॰ 01.04.2009 से 31.12.2016 तक उद्घोषित मामलों में धन की अदायगी की जायेगी।
- कार्मिक के अशंदान की कटौती यदि नियोक्ता द्वारा घोषित किया जाता है कि उसे काटा नही गया है तो ऐसी स्थिति में कार्मिक को अंशदान में छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे घोषित किये गये मामलें में नियोक्ता से क्षतिपूर्ति के रूप में रू॰ 01 (एक) प्रति वर्ष की दर से वसूली की जायेगी। इस हेतु प्रशासनिक व्यय की कटौती नियोक्ता से नही की जायेगी।

नामांकन के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी EPFO की वेब साइट http://epfindia.gov.in तथा श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून (फो॰न॰ 0135–2620101, 0135–2620106 तथा मो॰न॰ 8800589977) से प्राप्त की जा सकती है।

3. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पत्र में की गयी अपेक्षा के क्रम में शासन के पत्र संख्याः GI 10 दि॰ 28.02.2017 द्वारा सभी विभागों, समस्त जिलाधिकारियों एवं समस्त विभागाध्यक्षों को तथा पत्र संख्याः GI 22 द्वारा उद्योग विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, उर्जा विभाग, आवास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं औद्योगिक अवस्थापना निगम, को अपने–अपने विभागों एवं अधिनस्थ सार्वजनिक उद्यमों में नियुक्त आउटसोर्स, संविदा, अंशकालिक या दैनिक भोगी ऐसे कर्मचारी जोकि EPFO के सदस्य के रूप में नामित न हों, को सामाजिक सुरक्षा का लाभ अनुमन्य कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign -2017 के माध्यम से EPFO में नामांकन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।

4. प्रकरण पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर दि॰ 07.04.2017 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के सन्दर्भगत पत्र दि॰ 19.01.2017 एवं दि॰ 17.02.2017 (छायाप्रति संलग्न) में की गयी अपेक्षा के क्रम में कृपया अपने–अपने विभागों एवं अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियुक्त आउटसोर्स, संविदा, अंशकालिक या दैनिक वेतन भोगी, ऐसे कर्मचारी जोकि EPFO के सदस्य के रूप में नामित न हों, को सामाजिक सुरक्षा का लाभ अनुमन्य कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 के माध्यम से EPFO में नामांकन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एस॰रामास्वामी)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपिः– (1)/VIII/17–22(श्रम)/2013, TC-II तद्‌दिनाँकितः–

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम एंव रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को उनके पत्र दि॰ 17.02.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(डॉ॰पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।

जारी
18/01/2017

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः 100 /VIII/16–22(श्रम)/2013 टी.सी.I
देहरादून, दिनाँकः 18 दिसम्बर, 2016

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

अवगत कराना है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पत्र दि॰ 31.05.2016 एवं अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पत्र दि॰ 30.06.2016 द्वारा प्रदेश मे ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त संविदा श्रमिकों के ई.पी.एफ॰ की धनराशि जमा करने में ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोकने तथा इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गयी व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य मे भी लागू करने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार द्वारा P.F. अंशदान जमा किये जाने में ठेकेदार द्वारा की जा रही अनियमितता को रोकने हेतु की जाने वाली सावधानियॉ (संलग्नक– I) पर अवलोकनीय है। दिल्ली सरकार के आदेश दि॰ 17.04.2015 (संलग्नक– II) में निम्न व्यवस्था है:–

- ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मकारों के E.P.F. की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की है। यदि मुख्य नियोक्ता E.P.F. & M.P. एक्ट 1952 से आच्छादित नहीं है, तो ठेकेदार से पृथक से E–चालान रिर्टन (ECR) प्राप्त कर ठेकेदारों के लिए निर्धारित P.F. कोड में मुख्य नियोक्ता स्वयं जमा कराये।

- यदि मुख्य नियोक्ता के लिए स्वयं के कोड संख्या/ठेकेदार के लिए निर्धारित कोड संख्या में जमा कराया जाना सम्भव न हो, तो ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों के लाभों को सुनिश्चित करते हुये निम्न कार्यवाही की जायः–

I- मुख्य नियोक्ता कार्मिकों के द्वारा वेतन/मजदूरी रजिस्टर की प्रति जिसमे P.F. नं॰ हो की प्रति प्राप्त कर उसे ठेकेदार को पृथक–पृथक चालन के माध्यम से जमा करने हेतु निर्देशित करें।

II- कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी रजिस्टर की प्रति प्राप्त करने के बाद ही मुख्य नियोक्ता ठेकेदारों को भुगतान करें इस हेतु अपने आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करें।

III- कुछ ठेकेदारों द्वारा E. पासबुक जारी किया गया है। जिसका क्रास चैक E.P.F.O की वेबसाइट EPFO i.e epfindia.gov.in से सुनिश्चित किया जाय कि ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों का अंशदान जमा कर दिया गया।

IV- ठेकेदार के कार्यालय में नियुक्त कार्मिकों की सूचना अपने P.F कोड पर उपलब्ध करायें।

2. केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन के संदर्भगत पत्रों में की गई अपेक्षा के क्रम में शासन के पत्र संख्या जी.आई॰–63, दिनांक 04.07.2016 एवं संख्या जी.आई॰–90, दिनांक 17.08.2016 **(संलग्नक III एवं IV)** द्वारा उचित व्यवस्था करने हेतु सभी विभागों को पत्र प्रेषित किया गया था।

3. शासन के पूर्व पत्रों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त संविदा श्रमिकों के ई.पी.एफ. की धनराशि जमा करने में ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोकने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि उनके माध्यम से सेवा प्रदाता ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सके तथा कार्मिकों की ई.पी.एफ. की धनराशि उनके खातों में जमा करायी जा सके।

संलग्नकः– यथोक्त।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

अ.शा.प.सं.: 611-10/VIII/17-22(श्रम)/2013,TC-I
उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
देहरादून: दिनाँक 28 फरवरी, 2017

केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या राज्य सरकार के विभागों के आउटसोर्स, संविदा, अंशकालिक या दैनिक वेतन भोगी ऐसे कर्मचारी, जो कि EPFO के सदस्य के रूप में नामित न हों, को सामाजिक सुरक्षा का लाभ अनुमन्य कराने के लिए employees' enrollment campaign- 2017 के माध्यम से EPFO में नामांकन कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित कर्मकारों को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आच्छादित कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 के मुख्य बिन्दु निम्नवत है:-

- यह नामांकन अभियान दि० 01.01.2017 से 31.03.2017 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य गैर नामांकित कर्मचारियों का नामांकन कराने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। दि० 01.04. 2009 से 31.12.2016 तक उद्घोषित मामलों में धन की अदायगी की जायेगी।
- कार्मिक के अशंदान की कटौती यदि नियोक्ता द्वारा घोषित किया जाता है कि उसे काटा नही गया है तो ऐसी स्थिति में कार्मिक को अंशदान में छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे घोषित किये गये मामलें में नियोक्ता से क्षतिपूर्ति के रूप में रू० 01 (एक) प्रति वर्ष की दर से वसूली की जायेगी। इस हेतु प्रशासनिक व्यय की कटौती नियोक्ता से नही की जायेगी।

3. नामांकन के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी EPFO की वेब साइट http://epfindia.gov.in तथा डॉ० ए० के० सिंह, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 देहरादून (फो०न० 0135-2620101, 0135-2620106 तथा मो०न० 9410123158) से प्राप्त की जा सकती है।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के सन्दर्भगत पत्र दि० 19.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) में की गयी अपेक्षा के क्रम में कृपया अपने-अपने विभागों एवं अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियुक्त आउटसोर्स, संविदा, अंशकालिक या दैनिक वेतन भोगी, ऐसे कर्मचारी जोकि EPFO के सदस्य के रूप में नामित न हों, को सामाजिक सुरक्षा का लाभ अनुमन्य कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 के माध्यम से EPFO में नामांकन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव,**
   प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,(नाम से)
   उत्तराखण्ड शासन।

2. **समस्त जिलाधिकारी, (नाम से)**
   उत्तराखण्ड।

3. **समस्त विभागाध्यक्ष, (नाम से)**
   उत्तराखण्ड।

मूल में नहीं

अ.शा.प.सं.:–GL-10 (1)/VIII/17–22(श्रम)/2013, TC-I तद्दिनाँकितः–

प्रतिलिपिः–

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम एंव रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को उनके पत्र दि॰ 20.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ।

Mo/c

आज्ञा से,

Kumar

(विजय कुमार)

अनु सचिव।

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

अ.शा.प.सं.: 61-22 /VIII/17–22(श्रम)/2013.TC-I
उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
देहरादूनः दिनाँकः 10 मार्च, 2017

केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन, श्रम एंव रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या राज्य सरकार के विभागों के आउटसोर्स, संविदा, अंशकालिक या दैनिक वेतन भोगी ऐसे कर्मचारी, जो कि EPFO के सदस्य के रूप में नामित न हों, को सामाजिक सुरक्षा का लाभ अनुमन्य कराने के लिए employees' enrollment campaign- 2017 के माध्यम से EPFO में नामांकन कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 का उददेश्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित कर्मकारों को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आच्छादित कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः–

- यह नामांकन अभियान दि॰ 01.01.2017 से 31.03.2017 तक चलेगा, जिसका उददेश्य गैर नामांकित कर्मचारियों का नामांकन कराने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। दि॰ 01.04. 2009 से 31.12.2016 तक उद्घोषित मामलों में धन की अदायगी की जायेगी।
- कार्मिक के अशंदान की कटौती यदि नियोक्ता द्वारा घोषित किया जाता है कि उसे काटा नही गया है तो ऐसी स्थिति में कार्मिक को अंशदान में छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे घोषित किये गये मामलें में नियोक्ता से क्षतिपूर्ति के रूप में रू॰ 01 (एक) प्रति वर्ष की दर से वसूली की जायेगी। इस हेतु प्रशासनिक व्यय की कटौती नियोक्ता से नही की जायेगी।

3. नामांकन के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी EPFO की वेब साइट http://epfindia.gov.in तथा डॉ॰ ए॰ के॰ सिंह, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–1 देहरादून (फो॰न॰ 0135–2620101, 0135–2620106 तथा मो॰न॰ 9410123158) से प्राप्त की जा सकती है।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के सन्दर्भगत पत्र दि॰ 19.01.2017 एवं दि॰ 17.02.2017 (छायाप्रति संलग्न) में की गयी अपेक्षा के क्रम में कृपया अपने–अपने विभागों एवं अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियुक्त आउटसोर्स, संविदा, अंशकालिक या दैनिक वेतन भोगी, ऐसे कर्मचारी जोकि EPFO के सदस्य के रूप में नामित न हों, को सामाजिक सुरक्षा का लाभ अनुमन्य कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू किये गये employees' enrollment campaign- 2017 के माध्यम से EPFO में नामांकन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

1. **अपर मुख्य सचिव,**
   प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,(नाम से)
   उद्योग विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण, विभाग नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, औद्योगिक अवस्थापना निगम।
   उत्तराखण्ड शासन।

मूल में नहीं
अ.शा.प.सं.:- G2-22 (1)/VIII/17-22(श्रम)/2013, TC-I तद्दिनाँकितः-

प्रतिलिपिः-

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम एंव रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को उनके पत्र दि॰ 17.02.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(जी॰एन॰पन्त)
उप सचिव।